

## अध्याय - 17

### मैन्यूअल - 16

सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण जोधपुर विधुत वितरण निगम द्वारा जनता तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई हैं-

1. अखबारों के द्वारा - जोधपुर डिस्कॉम की महत्वपूर्ण सूचनाओं, योजनाओं, कार्यक्रमों, बैठकों में लिए गए निर्णयों, महत्वपूर्ण परिपत्रों आदि की सूचनाएं जन सामान्य तक समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्तियों द्वारा तथा विज्ञापनों द्वारा पहुंचाई जाती है। इसके लिए निगम मुख्यालय जोधपुर में जनसम्पर्क कार्यालय की स्थापना की गई है। इसके अलावा विभिन्न कार्यालयों के अध्यक्षों द्वारा अपने-अपने कार्यक्षेत्रों में जनोपयोगी समाचार जनता तक पहुंचाए जाते हैं।

2. बिजली कटौती की सूचना - जोधपुर डिस्कॉम के विभिन्न कार्यालयों द्वारा बिजली लाइनों के रख-रखाव करने तथा अन्य उद्देश्यों से अलग-अलग क्षेत्रों में प्रतिदिन की जाने वाली बिजली कटौती की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाई जाती है।

3. इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा - जोधपुर निगम मुख्यालय सहित जिला मुख्यालयों एवं अन्य शहरों में चलने वाले केबल टीवी चैनलों के माध्यम से समाचार दिए जाते हैं।

4. निगम कार्यालयों पर लगे सूचना पटल के द्वारा - जोधपुर डिस्कॉम के विभिन्न कार्यालयों द्वारा कार्यालय परिसर में सूचनापट्ट स्थापित किए गए हैं जिन पर महत्वपूर्ण सूचनाएं दर्शाई जाती है। कृषि श्रेणी में विधुत कनेक्शन चाहने वाले आवेदकों की सुविधा के लिए कट आफ डेट तथा प्राथमिकता सूची भी लगाई जाती है।

5. ग्रिड सब स्टेशनों पर ब्लॉक की सूचना - जोधपुर डिस्कॉम के समस्त 33/11 के.वी. सब स्टेशनों से कृषि उपयोग हेतु की जाने वाली विधुत आपूर्ति ब्लॉक वार निर्धारित समय सीमा में की जाती है। जिसका समय सुनिश्चित क्रम के अनुसार बदला जाता है। इस ब्लॉकवार आपूर्ति की सूचना प्रत्येक 33/11 जी.एस.एस. पर लगाई जाती है।

6. नागरिक अधिकार पत्र - जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता कार्यालयों के बाहर नागरिक अधिकार पत्र जन सामान्य की सूचनार्थ लगाए हुए हैं।

7. अभिलेखों का निरीक्षण - प्रत्येक राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी कार्यालय में विभिन्न अभिलेखों के निरीक्षण की व्यवस्था सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005 के अंतर्गत की गई है। जिसके लिए नियमानुसार शुल्क देय होगा।

8. दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था - कोई भी व्यक्ति निर्धारित शुल्क देकर दस्तावेजों की प्रति निर्धारित समय सीमा में प्राप्त कर सकता है।

9. उपलब्ध विभागीय मैनुअल - राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारियों के कार्यालय में निम्नलिखित मैनुअल उपलब्ध रहेंगे -

(अ.) रैवेन्यू मैनुअल (ब.) परचेस मैनुअल (स.) डेलीगेशन ऑफ़ पॉवर (द.) वक्रस मैनुअल एण्ड जनरल कन्डीशन्स ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट फॉर वक्रस (य.) स्टोर मैनुअल

10. जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड की वेबसाइट - जोधपुर विधुत वितरण निगम लि. जोधपुर द्वारा अन्य विधुत निगमों के साथ [www.jdvvn.com](http://www.jdvvn.com) या <http://energy.rajasthan.gov.in/jdvvn> पर निविदा सूचनाएं एवं अन्य जनोपयोग सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है।

11. ऊर्जा संरक्षण सप्ताह - प्रत्येक वर्ष दिसम्बर माह के द्वितीय सप्ताह में ऊर्जा संरक्षण सप्ताह का आयोजन किया जाता है। जिसका समापन विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को किया जाता है। इस सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यालयों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में जन सामान्य को ऊर्जा संरक्षण के उपायों सम्बन्धी जानकारी दी जाती है।

12. समस्या समाधान शिविर - प्रत्येक माह की दस तारीख को सहायक अभियंता कार्यालय पर तथा बीस तारीख को अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर समस्या समाधान शिविर आयोजित किया जाता है। इस शिविर में आए विधुत उपभोक्ताओं को उनके द्वारा चाही गई जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है।

13. विभिन्न पुस्तिकाओं का प्रकाशन - जोधपुर डिस्कॉम द्वारा निम्नलिखित पुस्तकों का प्रकाशन करवाया जाता है तथा जन सामान्य के उपयोग के लिए उन्हें जोधपुर डिस्कॉम मुख्यालय स्थित जनसम्पर्क कार्यालय द्वारा लागत मूल्य पर बेचा जाता है -

अ. टैरिफ फॉर सप्लाई ऑफ़ इलेक्ट्रिसिटी, ब. टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर सप्लाई ऑफ़ इलेक्ट्रिसिटी स. कृषि कनेक्शन नीति, द. रैवेन्यू मैनुअल.

14. अन्य प्रकाशन सामग्री - जोधपुर डिस्कॉम द्वारा समय-समय पर सूचनापरक सामग्री यथा बुकलेट, पैम्पलेट, फोल्डर एवं पोस्टर व स्टीकर आदि प्रकाशित करवाकर जनसामान्य को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है।